web: www.nyaysakshi.com || पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल || पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक-सेहत-विज्ञान-फीचर

दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शुक्रवार 25 अक्टूबर 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 29

नए वित्त वर्ष के लिए बीईएल ने सरकार को 231.69 करोड़ का लाभांश दिया

नईदिल्ली (आरएनएस)। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सरकार को 170 प्रतिशत अंतिम लाभांश के रूप में 231.69 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में बीईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एम गौतम से लाभांश का चेक प्राप्त किया। यह राशि राष्ट्रपति द्वारा धारित शेयरों पर भुगतान योग्य है। इसके साथ ही बीईएल ने अब वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कुल 340 प्रतिशत का लाभांश भुगतान किया है।

फरवरी और मार्च 2019 में सरकार को 170 प्रतिशत के अंतरिम लाभांश (प्रति शेयर प्रति शेयर 1 रुपये मूल्य पर) का भुगतान किया गया था।

बीईएल एक नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम और भारत की अग्रणी रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। बीईएल एक बहु-उत्पाद, बहु-प्रौद्योगिकी, बहु-इकाई समूह है, जो रक्षा उत्पादों जैसे राडार, मिसाइल सिस्टम, सैन्य संचार आदि के क्षेत्रों में 350 से अधिक उत्पादों की आपूर्ति करता है और गैर-रक्षा उत्पादों जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), मतदाता सत्यापन पेपर ऑडिट ट्रायल (वीवीपीएटी) और सौर उत्पाद भी इनमें शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र बीईएल का मुख्य आधार है। फिर भी, कंपनी ने सौर यातायात संकेतों और ईवीएम जैसे अपने विविध उत्पादों के माध्यम से लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। सेना, नौसेना, वायु सेना, अर्धसैनिक बल, तटरक्षक बल, पुलिस, दूरसंचार विभाग और भारत निर्वाचन आयोग इसके मुख्य ग्राहक हैं। बीईएल में अपनी 9 इकाइयों में विकास और इंजीनियरिंग (डी एंड ई) प्रभागों के साथ त्रि-स्तरीय अनुसंधान एवं विकास प्रभाग, उत्पाद विकास और नवाचार केंद्र (पीडी एंड आईसी), सभी इकाइयों/एसबीबी की नई उत्पाद/उप-सिस्टम विकास प्रणालियों के लिए एक केंद्रीकृत सुविधा और अत्याधुनिक अनुसंधान करने के लिए बेंगलुरू और गाजियाबाद में केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला मौजूद हैं।

बीईएल ने 2018-19 के दौरान 11,789 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि का सूचक है। कर-पूर्व लाभ 2,703 करोड़ रूपये और कर-पश्चात लाभ 1,927 करोड़ रुपये था। कंपनी ने 153 करोड़ रुपये (लगभग) का निर्यात कारोबार किया।

कश्मीर में प्रतिबंध जारी रखने पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

नईदिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में जारी प्रतिबंधों से जुड़े मामलों की सुनवाई पांच नवंबर तक के लिए गुरुवार को स्थगित कर दी। इस दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई। न्यायमूर्ति एनवी रमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने केंद्र सरकार से पूछा कि वह कितने दिनों के लिए राज्य में प्रतिबंध चाहती है?

पीठ ने कहा कि यह प्रतिबंध पहले से ही दो महीने से जारी है। न्यायमूर्ति रमन ने पूछा कि केंद्र सरकार को स्पष्ट करना होगा और साथ ही उसे इस मामले में अन्य तरीकों का भी पता लगाना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा, आप प्रतिबंध लगाए रख सकते हैं, लेकिन आपको अपने निर्णयों की समीक्षा करनी होगी।'

केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि राज्य में 90 फीसदी प्रतिबंध हटा लिये गए हैं और इनकी रोजाना समीक्षा की

जा रही है। यह मामला जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद वहां लगाए गए प्रतिबंधों से जुड़ा है।न्यायालय ने केंद्र और राज्य प्रशासन से पूछा, कब तक आप यह प्रतिबंध लागू रखेंगे? हमें एक निश्चित समय दें।

इस बीच न्यायालय ने अनुच्छेद 370 पर सरकार के फैसला लेने से पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को चुनौती देने वाली 2012 से 2018 के बीच दाखिल याचिकाओं को भी संविधान पीठ को भेज दिया। संविधान पीठ को 14 नवंबर को अनुच्छेद 370 के प्रावधान रद्द करने और राज्य को दो हिस्से मे बांटने के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करनी है।

महत्वपूर्ण एवं खास

चिदंबरम की जमानत अर्जी पर ईडी को हाईकोर्ट का नोटिस

» आईएनएक्स मीडिया केस

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में जेल में दिन गुजार रहे कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने ईडी से सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने बुधवार को ही दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी। इससे पहले आईएनएक्स मीडिया के सीबीआई जांच वाले मामले में चिदंबरम को मंगलवार को जमानत मिल गई थी। हालांकि ईडी की जांच वाले मामले में उन्हें जमानत नहीं मिलने की वजह से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए। बता दें कि ईडी ने चिदंबरम को 24 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत लेकरतिहाड़ जेल में रखा हुआ है। बुधवार को दाखिल की गई जमानत याचिका में चिदंबरम ने कहा था कि ईडी की गिरफ्तारी बदनीयती से की गई और इसका मकसद याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है।

क्रिश्चियन जेम्स की जमानत पर हाईकोर्ट ने सीबीआई, ईडी से मांगा जवाब

» वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीवीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामलों में कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय से दो सप्ताह के भीतर अपने जवाब दायर करने को कहा और आगे की सुनवाई की खातिर मामले को 13 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया। मिशेल इस साल पांच जनवरी से न्यायिक हिरासत में है। मिशेल को निचली अदालत से मामलों में राहत नहीं मिली थी। इसके बाद उसने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। भ्रष्टाचार मामले में नियमित जमानत के लिये अपनी याचिका में मिशेल ने दलील दी कि समूचा मामला दस्तावेजी प्रमाण पर आधारित है जिसे जांच एजेंसी पहले ही जुटा चुकी है और सीबीआई की संबंधित विशेष अदालत में पेश कर चुकी है। अपनी याचिका में उसने यह भी दलील दी कि इससे कोष को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि भारत को मुआवजे के तौर पर 83.5 लाख यूरो मिले थे और 15 करोड़ यूरो की कीमत के तीन हेलीकॉप्टरों को जब्त भी किया गया था। याचिका में कहा गया है कि प्राथमिकी में नामजद सभी आरोपी जमानत पर रिहा हैं और उसके साथ किसी भी लेन-देन के संबंध में किसी अन्य सरकारी कर्मी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही किसी से पूछताछ की गई है।

नवाज को देखने अस्पताल पहुंचीं बेटी मरियम खुद बीमार हुईं, अस्पताल में भर्ती

लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की तबियत खराब है और उन्हें उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनके पिता का, प्लेटलेट घट जाने की समस्या की वजह से इजाज चल रहा है। बृहस्पतिवार को मीडिया में आई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार शरीफ (69) की प्लेटलेट्स सोमवार को काफी ज्यादा घट गई और उनकी हालत गंभीर हो गई। उन्हें कोट लखपत जेल से लाहौर के सर्विस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि कोट लखपत जेल में ही सजा काट रहीं मरियम नवाज ने अपने पिता को अस्पाल में देखने जाने की अनुमति संबंधी अर्जी जवाबदेही अदालत में दाखिल की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। प्रधानमंत्री इमरान खान के निर्देश पर पंजाब गृह विभाग ने मरियम को बीमार पिता को देखने जाने की अनुमति दी। पिता से मिलने के बाद मरियम भी बीमार पड़ गई। इसके बाद उन्हें भी उसी अस्पताल में और नवाज के कमरे के बगल वाले कमरे में ही भर्ती किया गया है।

मॉस्को में अफगान शांति वार्ता में हिस्सा लेगा पाकिस्तान

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने बुधवार को कहा कि वह अगले महीने मॉस्को में आयोजित होने वाली अफगान शांति प्रक्रिया पर चार पक्षीय वार्ता में हिस्सा लेगा। इस वार्ता के जरिए रुकी पड़ी वार्ता को फिर से शुरू करने का प्रयास होगा। रूस, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान इस समूह के हिस्सा है। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने यहां साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'पाकिस्तान वार्ता में हिस्सा लेगा और अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया के लिए अतिरिक्त सचिव इसकी नुमाइंदगी करेंगे। इस्लामाबाद ने जुलाई में पेइचिंग में आयोजित वार्ता के पहले चरण में हिस्सा लिया था। यह चीन, रूस और अमेरिका वाले त्रिपक्षीय मंच की तीसरी बैठक थी और पाकिस्तान पहली बार इसमें शामिल हुआ था। फैसल ने कहा, 'पाकिस्तान, अफगानिस्तान में शांति और सुलह के लिए सभी प्रयासों का हिस्सा रहा है और इसके लिए अपनी भूमिका निभाता रहेगा।' इस महीने की शुरूआत में अफगान तालिबान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान का दौरा किया था।

ओडिशा के सवा लाख छोटे किसानों को कृषि में मदद हेतु विश्व बैंक ने की पहल

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत सरकार, ओडिशा सरकार और विश्व बैंक ने छोटे किसानों की उत्पादन प्रणालियों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ आमदनी बढ़ाने के लिए उनकी उपज में विविधता लाने तथा बेहतर ढंग से विपणन (मार्केटिंग) में उनकी मदद करने के लिए आज 165 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।

जलवायु परिवर्तन रोधी कृषि के लिए ओडिशा एकीकृत सिंचाई परियोजना को उन ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा जहां बार-बार सूखा पड़ने का खतरा रहता है और जो काफी हद तक वर्षा आधारित कृषि पर ही निर्भर

रहते हैं। इससे ओडिशा के 15 जिलों के लगभग 1,25,000 छोटे किसान परिवार लाभान्वित होंगे जो 1,28,000 हेक्टेयर कृषि भूमि का प्रबंधन करते हैं। यह परियोजना जलवायु परिवर्तन रोधी बीजों की विभिन्न किस्मों तथा उत्पादन तकनीकों तक छोटे किसानों की पहुंच बढ़ाकर, जलवायु परिवर्तन रोधी फसलों की ओर उन्हें उन्मुख कर तथा बेहतर जल प्रबंधन एवं सिंचाई परियोजनाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित कर प्रतिकूल जलवायु से निपटने में उन्हें सक्षम बनाएगी।

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव समीर कुमार खरे ने कहा, 'भारत सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत अनेक मिशन कार्यान्वित कर रही है जिनके तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम बेहतरीन कृषि प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को भी अपनाया जाता है।' उन्होंने कहा, 'वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के तहत टिकाऊ कृषि संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार से समर्थन प्राप्त इस तरह की कई पहलों में ओडिशा की परियोजना भी शामिल है।'

भारत सरकार की ओर से आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव समीर कुमार खरे और ओडिशा सरकार की ओर से जल संसाधन विभाग में प्रधान सचिव सुरेन्द्र कुमार तथा विश्व बैंक की ओर से कंट्री डायरेक्टर (भारत) जुनैद अहमद ने उपर्युक्त ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।

हाल के वर्षों में जलवायु में व्यापक परिवर्तन ने ओडिशा में कृषि को बुरी तरह प्रभावित किया है।

जीएसटी के 136 करोड़ से ज्यादा रकम के फर्जी बिल जारी करने के रैकेट का भंडाफोड़

नईदिल्ली (आरएनएस)। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई), की गुरुग्राम इकाई ने मैसर्स आरएसटी बैटरीज, मुंडका दिल्ली में साझेदार और मैसर्स आरएसटी बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड, बहादुरगढ़, हरियाणा के निदेशक राजीव गुप्ता को 136 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम के जाली जीएसटी बिल जारी करने का रैकेट चलाने और सरकार के साथ 20 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि की धोखाधड़ी करने के आरोप में

23 अक्टूबर, 2019 को गिरफ्तार किया। इस धोखाधड़ी को 52 से ज्यादा फर्जी कंपनियों का जाल बिछाकर अंजाम दिया गया। इन कंपनियों का इस्तेमाल विभिन्न डीलरों और विनिर्माताओं को फर्जी बिल जारी करने के लिए किया गया। इस प्रकार सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि हुई।

राजीव गुप्ता 12 जुलाई, 2019 से फरार थे। डीजीजीआई द्वारा उन्हें पकड़ने के लिए की गई कई कोशिशों के बाद आखिरकार उनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। अपराध की संगीनता को देखते हुए उसे जीएसटी कानून के अंतर्गत संज्ञेय और गैर-जमानती माना गया।

राजीव गुप्ता को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया जिन्होंने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

डीजीजीआई, की गुरुग्राम इकाई इसी से मिलते-जुलते मामलों में अब तक 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम के फर्जी बिलों का भंडाफोड़ करके 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस धांधली से राजकोष के साथ 280 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम की धोखाधड़ी की गई थी। उपरोक्त मामले में जांच जारी है और यह आंकड़ा बढ़ सकता है।

आंतरिक सुरक्षा के मामले में आईटीबीपी की भूमिका सराहनीयः रेड्डी

» आईटीबीपी का 58वां स्थापना दिवस

नोएडा (आरएनएस)। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के 58वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता की और स्थापना दिवस की परेड की सलामी ली। आईटीबीपी के महानिदेशक एस.एस. देशवाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

परेड में महिला, कमांडो, स्कीइंग, पर्वतारोहण और पैराट्रूपर्स के दस्ते, डॉग

स्क्वायड और घुड़सवार कॉलम सहित सभी फ्रंटियर टुकड़ियां शामिल थीं। परेड में अभी हाल में शामिल मशीनों और उपकरणों, स्नो स्कूटर, ऑल-टेरेन वाहनों, विभिन्न हाई-एंड एसयूवी, पोल नेट और विभिन्न संचार और निगरानी उपकरणों सहित फोर्स के सभी पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर जी. किशन रेड्डी ने कहा कि इन मौजूदा आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में आईटीबीपी की विविध भूमिकाएं हैं। उन्होंने कहा इस बल का विदेशों में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों की सुरक्षा, अमरनाथ और मानसरोवर यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ वामपंथी अतिवाद क्षेत्रों में संचालन और राहत तथा आपदाओं के दौरान बचाव आदि के कार्यों सहित विभिन्न प्रकार के कानूनी योगदान रहता हैं।

बांग्लादेश में किशोरी को जिंदा जलाए जाने के मामले में 16 लोगों को फांसी

» मौलाना पर लगाया था यौन शोषण का आरोप

फेनी । बांग्लादेश की एक अदालत ने अप्रैल में 19 वर्षीय एक छात्रा को जिंदा जलाकर उसकी हत्या करने के मामले में गुरुवार को 16 लोगों को मौत की सजा सुनाई। इस घटना के विरोध में देशभर में व्यापक प्रदर्शन हुए थे। नुसरत जहां रफी ने एक मदरसे के मौलाना के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत वापस लेने से इनकार कर दिया था।

मौलाना के खिलाफ शिकायत वापस नहीं लेने पर केरोसिन छिड़ककर उन्हें जिंदा जला दिया गया था। 15 लोगों की भीड़ ने किशोरी को बेरहमी से जलाया जिसमें वह 80 प्रतिशत तक जल

गई थीं। बाद में इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। किशोरी की हत्या का आदेश आरोपी मौलाना ने जेल से ही दिया था। अभियोजक हाफिज अहमद ने लोगों की भारी भीड़ के बीच अदालत में फैसला सुनाए जाने के बाद संवाददाताओं से कहा, 'यह फैसला साबित करता है कि बांग्लादेश में कोई हत्यारा कानून से नहीं बचेगा। हमारे यहां कानून का शासन है।

19 साल की नुसरत जहां रफी को उनके इस्लामिक स्कूल की छत पर ही जलाया गया था। उन्होंने स्कूल के मौलाना पर यौन शोषण की शिकायत की थी। उन्हें स्कूल की छत पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर हत्या कर दी थी। घटना वाले दिन के कुछ दिन पहले ही नुसरत ने अपने साथ हुई यौन हिंसा को लेकर शिकायत की थी। उन पर शिकायत वापस लेने का खासा दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने शिकायत वापस नहीं ली।

इस घटना के बाद बांग्लादेश ही नहीं पूरे विश्व में काफी आलोचना हुई थी। सोशल मीडिया पर बांग्लादेश में इसके बाद एक मुहिम ही शुरू हो गई।

पश्चिमी मेक्सिको में विमान दुर्घटना, 5 लोगों की मौत

मेक्सिको सिटी। पश्चिमी मेक्सिको के मिकोआकन राज्य के अधिकारियों ने बताया कि एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। मिकोआकन राज्य अभियोजक कार्यालय ने बुधवार को बताया कि वह मादेरो कस्बे के लास जुंटास में हुई विमान दुर्घटना की जांच कर रहा है। कार्यालय ने बताया कि मरने वालों का फिलहाल यह प्रारंभिक आंकड़ा है। मारे गए लोगों की पहचान उजागर नहीं की गई है। विमान हादसे के दुर्घटना कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि कारणों की पड़ताल की जा रही है। अभी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। स्थानीय मीडिया के द्वारा शेयर किए गए तस्वीरों में नजर आ रहा है कि विमान अपनी गति के साथ संतुलन नहीं बना सका और एक नदी में जाकर गिर गया।

राजनाथ ने रक्षा निर्यातों को बढ़ावा देने दो ओपन जनरल निर्यात लाइसेंसों को दी मंजूरी

नईदिल्ली (आरएनएस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनिंदा देशों को कुछ पुर्जों, घटकों के निर्यात और प्रौद्योगिकी के अंतर कंपनी हस्तांतरण के लिए दो ओपन जनरल निर्यात लाइसेंस (ओजीईएल) जारी करने की मंजूरी दी है। इससे रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और कारोबार को आसान बनाने में और बढ़ोत्तरी होगी। ओजीईएल की मांग के आवेदन पर रक्षा उत्पादन विभाग (डीपीपी) द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाएगा।

निर्यातकों की मांग पर विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद डीपीपी ने इस ओजीईएल की नीति को तैयार करके रक्षा मंत्री के

अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया था। ओजीईएल के तहत अनुमति प्राप्त देशों के नाम हैं- बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, इटली, पोलैंड और मैक्सिको। विशेष आर्थिक क्षेत्र की वस्तुओं के निर्यात की अनुमति नहीं है।

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, आवेदक के पास आयात-निर्यात प्रमाण-पत्र होना जरूरी है। ओजीईएल के तहत सभी लेन-देन की प्रत्येक तिमाही और वर्ष के अंत की रिपोटों को जांच और निर्यात बाद सत्यापन के लिए डीपीपी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।